

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक:प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2012

जयपुर, दिनांक : 18 अक्टूबर, 2019

परिपत्र

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

वित्त विभाग द्वारा समय समय पर राजकीय व्यय के विनियमन के लिए मितव्ययता परिपत्रों के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सरकार की कार्यकारी कुशलता से किसी भी प्रकार का समझौता किये बिना वित्तीय अनुशासन को बनाये रखना रहा है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राजकीय व्यय के विनियमन के लिए जारी मितव्ययता परिपत्र प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2010 दिनांक 30.06.2010 (यथा संशोधित) की निरन्तरता में निम्नांकित दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1- स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा की अनुपालना:-

- (i) लोक वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से वित्तीय वर्ष के दौरान राजकीय व्यय की सभ्य गति बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है। अतः विभागों द्वारा संबंधित बजट मदों के अन्तर्गत किये गये बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में समानुपाती व्यय सुनिश्चित किया जावे।
- (ii) वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने एवं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी लेखा शीर्ष में बजट नियंत्रण अधिकारियों को अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation) केवल पुनर्विनियोजन (Reappropriation) अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand) के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। अतः तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनर्विनियोजन हेतु बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार सक्षम अधिकारी की अनुमति ली जावे।
- (iii) केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात ही केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि मद में प्रावधित राशि व्यय की जावे।
- (iv) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों/बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाना भी अपेक्षित है कि निधियों को तभी आहरित किया जायें जब भुगतान करने की आवश्यकता हो। बजट अनुदान को व्ययप्राप्त (Lapse) होने से बचाने की दृष्टि से निधियों को आहरित कर उन्हें लोक लेखे या बैंक में जमा नहीं किया जावे।

2- नवीन पदों का सृजन:-

बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं की क्रियान्विति के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहेगा।

3- नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति:-

(i) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्ण सहमति से की जा सकेगी।

(ii) दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों, बजट घोषणाओं/ वित्त विभाग की सहमति से नवसृजित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित राजकीय विभाग सेवा नियमानुसार नियुक्ति कर सकेंगे और चरणबद्ध तरीके से भर्ती की कार्ययोजना तैयार करेंगे जिससे किसी भी कार्मिक/अधिकारी के पद रिक्त होने पर कार्मिक उपलब्ध हो सके।

(iii) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों एवं विशेष योग्यजन के लिए सेवा नियमों के अनुसार आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्ण सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

4- राजकीय भवन निर्माण :-

(i) नवीन भवन निर्माण कार्य, भवन परिवर्धन तथा भवन मरम्मत कार्य सांज्जनिक निर्माण विभाग के परिपत्र क्रमांक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.7.2009 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित विभाग यथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, वन विभाग इत्यादि कार्यान्वयन में मितव्ययता बरतेंगे और अपने स्तर से निर्माण कार्यों में मितव्ययता बरतने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5- नये वित्तीय दायित्वों का सृजन :-

बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं, वित्त विभाग से अनुमोदित योजनाओं तथा न्यायालय आदेशों की क्रियान्विति को छोड़कर बिना वित्त विभाग की सहमति के विभागों द्वारा नये वित्तीय दायित्व सृजित नहीं किये जायेंगे।


6- परिपत्र की प्रभावशीलता एवं क्षेत्राधिकार :-

(i) उपर्युक्त दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स, समस्त विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों एवं राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर सभी संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

(ii) राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदों के सृजन एवं क्रमोन्नयन आदि प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मण्डल निर्णय ले सकेगा।

(iii) राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, विधान सभा तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग पर यह परिपत्र प्रभावी नहीं होगा।

अतिआवश्यक प्रकरणों में वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से उक्त प्रतिबंधों में शिथिलता दिया जा सकेगा।


(निरंजन आर्य)


अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-


1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पांच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(शरद मेहता)
निदेशक, वित्त (बजट)

[11/2019]



RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
[Corporate Identity Number (CIN) : U40109RJ2000SGC016485]
Regd. Office: VidyutBhawan, Jyoti Nagar, Jaipur -302005
Website: www.rvpn.co.in; E-mail: aao.fr@rvpn.co.in

RVPN F&R No. **1303**

No.: RVPN/CAO(P&F)/AAO/F&R/F. 91 /D.140

Dated: 04.11.2019

Copy to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control:-

1. The Chief Controller of Accounts, RVPN, Jaipur.
2. The Secretary (Admn.), RVPN, Jaipur.
3. The Chief Engineer (PP&D/IT/Procurement/MPT&S/NPP&RA/LD/Contracts), RVPN, Jaipur.
4. The Zonal Chief Engineer (T&C), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
5. The Zonal Chief Engineer (Civil), RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
6. The Company Secretary, RVPN, Jaipur
7. The Controller of Internal Audit, RVPN, Jaipur.
8. The Chief Accounts Officer (A/Cs & W&M/P&C/PP&D/P&F-Cont./EA-Cash), RVPN Jaipur.
9. The R.CAO, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur Zone, RVPN, Jaipur/Ajmer/Jodhpur.
10. The Chief Personnel Officer, RVPN, Jaipur.
11. The Joint Legal Remembrancer, RVPN, Jaipur.
12. The Superintending Engineer (), RVPN, Jaipur.
13. The Incharge, Data Centre, RVPN, Chambal GSS, Hawa Sarak, Jaipur.
14. The Dy. Controller of Accounts (P&F), RVPN, Jaipur.
15. The Sr. Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
16. The Accounts Officer (), RVPN, Jaipur.
17. The PRO, RVPN, Jaipur.
18. PS to CMD, RVPN, Jaipur.
19. PS to Director (Finance/Technical/Operations), RVPN, Jaipur.
20. Office Order/Master File.

S. Bhatt

(Sourabh Bhatt)

Chief Accounts Officer (P&F)

Note: Orders are also available on the Nigam's website www.rvpn.co.in